न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20 सन् 2017

1– श्रीमति सुबानी पत्नि श्री हजारी
2– अलाद्दीन पुत्र श्री हजारी
3– मस्तान पुत्र श्री हजारी जी
तीनो जाति मेरात निवासीयान ग्राम दौलतपुरा द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

––––––प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए भू–धारक एवं लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मसूदा जिला अजमेर।

––––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 12.03.2021

संक्षिप्तः प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा शिवपुरी पटवार हल्का शिवपुरी तहसील मसूदा खसरा नंबर 156 रकबा 04–03–10 स्थित है, उक्त आराजी पर आवागमन हेतू रास्ता खसरा नंबर 260 एंव खसरा नंबर 263 पर होकर जाया जाता है, जबकि उक्त खसरा संख्या 260, 263 की भूमियां राजस्व रेकार्ड राजस्व रेकार्ड में सरकारी खाते में दर्ज है, जबकि प्रार्थीगण उक्त खसरान में से होकर अपने खातेदारी खेत तक आवागमन का कदीमी रास्ता बनाया हुआ होकर उपयोग करते आ रहे है, जो कि करीबन 30 फीट रास्ता जाता है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई मार्ग अधिकार सुखाधिकार एंव अन्य कोई हक अधिकार ना तो विद्यमान है, और ना ही होना संभावित है। प्रार्थीगण के पास इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि से आवागमन का मार्ग उपलब्ध नही है। तथा प्रार्थीगण राजकीय दरो से डी0एल0सी0 भुगतान हेतू तैयार है। प्रार्थीगण ने दिनांक 8.4.2017 को पटवारी से प्रार्थीगण के खेो तक आने जाने हेतू खसरा नंबर 260, 263 में से चले आ रहे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतू निवेदन किया किन्तु कोई ध्यान नही दिया गया तदपरांत यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 260, 263 में दिया जावे तथा रास्ते को तरमीम दर्ज की जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ते की अमल दरामद कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने पत्र कमांक/भू.अ./2019/5[illegible] दिनांक 12.9.2019 के तहत रिपोर्ट पेश कर कथन किया है, कि भूमि खसरा नंबर [illegible]32, [illegible]6 प्रार्थीगण की खातेदारी की है उससे मुख्य सडक पर पहुचने [illegible] बीच में खसरा नंबर 1059/260 आता है,। खसरा नंबर 1059/260 का 0.016[illegible] हैक्टेयर रकबा प्रभावित होता है। जो 13[illegible] लम्बाई व 13 फीट चौडाई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khathawalia
Date: 2021.04.05 16:23:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार कथन किये गये।

...............लगातार

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20 सन् 2017
श्रीमति सुबानी वगैरह बनाम राजस्थान सरकार

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमियों में आने जाने हेतू मात्र खसरा नंबर 260 व 263 सरकारी भूमि में रास्ता दिलाये जाने का कथन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2070 से 2073 मे खसरा नंबर 156 प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में खसरा नंबर 260/2, 263/1 राज. सरकार दर्ज चली आ रही है। तथा अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कथन किया है, कि खसरा नंबर 1059/260 में प्रार्थीगण का आने जाने का कोई रास्ता (नरेगा कच्चा सडक ग्राम शिवपुरी से ढाणी जाने वाला तक) विद्यमान है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजी विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की मौजा शिवपुरी पटवार हल्का शिवपुरी तहसील मसूदा की भूमि खसरा नंबर 1032/156 में आने-जाने हेतु रास्ता बाबत खसरा नम्बर 1059/260 में से रकबा 0.0161 हैक्टयर को सिवायचक आम रास्ता अंकित किये जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। प्रार्थीगण से नियमानुसार उक्त रकबे की रांशि प्राप्त की जाकर राजकोश में जमा करने के पश्चात् उक्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिवायचक राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। जिस पर समस्त व्यक्ति आने-जाने हेतु उपयोग कर सकेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:23:08 IST
Reason: SelfAttested